न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A 6/1

न अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
189 / अपील / 17	07.06.2017	05.04.2021

भॅवरलाल आ0 दयाराम जाति रेगर निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. कालू आ0 गिल्या जाति खाती निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से – श्री नवेद केसर एड0
रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से – श्री आनन्द सिंह नरूका एड0
रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1679 दिनांक 11.06.2015 वाके ग्राम गुढादेवजी तहसील नैंनवा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 1723 / 1258 वाके ग्राम गुढादेवजी रेस्पोडेन्ड संख्या 1 को गैर खातेदार से खातेदारी दी गई हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 1723 / 1258 वाके ग्राम गुढादेवजी जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1723 / 1258 हैं। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ड का कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ड से पूर्व रामदेव का कब्जा चला आ रहा था। रामदेव के स्वर्गवास के पश्चात भंवरलाल, रघुनाथ व सुरेश का कब्जाकाश्त हैं। रेस्पोडेन्ड का कब्जा नहीं होने पर भी तहसीलदार नैंनवा द्वारा रेस्पोडेन्ड को विवादित नामान्तरकरण से खातेदारी अधिकार प्रदान कर विधिक त्रुटि की हैं। विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व भूमि के कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की हैं। उक्त भूमि का आवंटन खारिज करवाने हेतु अपीलांट द्वारा पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा हैं। उक्त भूमि पर अपीलांट का मकान बना हुआ हैं। भूमि पर अपीलांट द्वारा कुॅआ भी खुदवाया हुआ हैं। विवादित नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ड को माह जून, 2017 में भूमि पर कब्जा करने एवं बेचान की धमकी देने पर हुई। अपीलांट द्वारा दिनांक 05.05.2017 को नकल लेने हेतु आवेदन किया गया। नामान्तरकरण

नांक 16.05.2017 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ती से उक्त अपील अन्दर अवधि पील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तरकरण खारिज किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ड ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1679 दिनांक 11.06.2015 तहसीलदार नैंनवा द्वारा संपूर्ण विधिक जांच एवं सुनवाई उपरांत तस्दीक किया गया हैं जो विधि अनुरूप हैं। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। तहसीलदार नैंनवा द्वारा रेस्पोडेन्ड का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त होने से एवं आवंटन की शर्तों की पालना करने से गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अपील खारिज कर तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2015 यथावत रखा जाता हैं।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित नामान्तरकरण से रेस्पो0 संख्या 1 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। रेस्पोडेन्ड को विवादित नामान्तरकरण में अंकित भूमि आवंटन से प्राप्त हुई हैं। तहसीलदार नैंनवा द्वारा विवादित नामान्तरकरण मजमें आम में राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 में तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट का यह कथन हैं कि विवादित भूमि पर उसका कब्जाकाश्त हैं। इस कथन की सत्यता के प्रमाण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 1679 दिनांक 11.06.2015 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी